'प्रोसीक्यूटर के पदों पर मनमाने तरीके से नियुक्ति पर रोक लगाएं'

हाईकोर्ट में प्रोसीक्यूशन ऑफिसर्स एसोसिएशन की ओर से याचिका दायर कर गुहार की है, जिस पर अदालत ने कानून व गृह विभाग से जवाब तलब किया

- याचिकाकर्ता ने कहा कि प्रदेश के अलग-अलग जिलों में प्रोसीक्यूटर के पदों पर नियुक्ति के लिये कानून विभाग द्वारा जिला न्यायाधीशों और कलेक्टरों से अधिवक्ताओं की सिफरिश लेने की पुरानी प्रथा पर रोक लगाएं, क्योंकि इसमें योग्यता को नहीं देखा जाता है बल्कि केवल और केवल राजनैतिक व असंगत लाभों के कारण ही नियुक्ति की जाती है और सुप्रीम कोर्ट भी इसमें गंभीर टिप्पणी कर चुका है
- भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता-2023 के लागू होने से पहले से ही राज्य में 'राजस्थान प्रोसीक्यूशन सर्विसेज रूल्स-1978' और 'राजस्थान प्रोसिक्यूशन सबोर्डिनेट सर्विस रूल्स-1978' लागू रहे हैं और नये कानून के तहत केवल काडर में से ही प्रोसीक्यूटर्स को नियुक्ति दी जा सकती है और रिक्त पदों को केवल पदोन्नति से ही भरा जा सकता है।
- याचिकाकर्ता का कहना है कि कानून विभाग की ओर से असाधारण परिस्थितियों का वर्णन किये बगैर 31 जनवरी 2024 को प्रदेश के सभी जिला मजिस्ट्रेट और कलेक्टरों को पत्र लिखकर अधिवक्ताओं के नाम की सिफारिश भेजें जिससे वह पब्लिक प्रोसीक्यूटर्स नियुक्त करें।

जयपुर, (का.सं.)। राजस्थान हाईकोर्ट में राजस्थान प्रोसिक्यूशन ऑफिसर्स एसोसिएशन (आर. पी. ओ. ए.) की अध्यक्ष, प्रतिभा पुरोहित, की ओर से रिट याचिका दायर कर अदालत से गुहार की गई है कि प्रदेश के अलग-अलग जिलों में पब्लिक प्रोसीक्यूटर, एडीशनल प्रोसीक्यूटर और स्पेशल प्रोसीक्यूटर के पदों पर नियुक्ति के लिये कानून विभाग द्वारा जिला न्यायाधीशों और कलेक्टरों से अधिवक्ताओं की सिफरिश लेने की पुरानी प्रथा पर रोक लगाएं। याचिकाकर्ता की ओर से याचिका में कहा गया कि नई कानून व्यवस्था के तहत जिन राज्यों में 'प्रोसीक्यूटिंग ऑफिसर' (यानी अभियोग चलाने वाले अधिवक्ताओं) का काडर हो तो राज्य सरकार उस काडर में से ही 'प्रोसीक्यूटर्स' नियुक्त कर सकती है। याचिका के अनुसार भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता-2023 की धारा-18 व इसके नियम स्पष्ट कहते हैं कि 'पब्लिक प्रोसीक्यूटर्स' की नियुक्ति उसके लिये बने काडर से ही हो और सभी रिक्त पद 'प्रमोशन' (पदोन्नति) से ही किये जाये। न्यायाधीश अनिल उपमन की अदालत ने मामले की सुनवाई करते हुए राज्य सरकार 'प्रिंसीपल लॉ सेक्रेटरी' और 'एडीशनल चीफ सेक्रेटरी (होम)' तथा अन्य संबंधित पार्टियों से जवाब तलब किया है।

दरअसल भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता-2023 के लागू होने से पहले से ही राज्य में 'राजस्थान प्रोसीक्यूशन सर्विसेज रूल्स-1978' और 'राजस्थान प्रोसिक्यूशन सबोर्डिनेट सर्विस रूल्स-1978' लागू रहे हैं। यानी राजस्थान में कई वर्षों से 'पब्लिक प्रोसीक्यूटर्स' का काडर बना हुआ है और उन्हें नियमानुसार रिक्त पदों को 100 प्रतिशत 'प्रमोशन' करके ही भरना होता है। याचिकाकर्ता का कहना है कि भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता-2023 की धारा 18(3) के तहत असाधारण परिस्थितियों में ही, जैसे किसी भी उपयुक्त व्यक्ति का ना मिलने की स्थिति में, राज्य सरकार काडर के बाहर से 'पब्लिक प्रोसीक्यूटर' के पद पर किसी व्यक्ति की नियुक्ति कर सकती है। याचिकाकर्ता का कहना है कि कानून विभाग की ओर से सभी नियम कायदों को दरकिनार करते हुए और बिना असाधारण परिस्थितियों का वर्णन किये बगैर 31 जनवरी 2024 को प्रदेश के सभी जिला मजिस्ट्रेट और कलेक्टरों को पत्र लिखकर अधिवक्ताओं का पैनल बनाने को कहा जो राज्य सरकार को अधिवक्ताओं के नाम की सिफारिश भेजें जिसे वह पब्लिक प्रोसीक्यूटर, एडीशनल प्रोसीक्यूटर और स्पेशल प्रोसीक्यूटर के पदों पर नियुक्त करें।

याचिकर्ता का कहना है कि काडर के बाहर से अधिवक्ताओं को प्रोसीक्यूटर के पद पर नियुक्त करने की प्रथा बिलकुल ही अपारदर्शी है और मनमाने तरीके से की जाती है, जिसमें केवल और केवल राजनैतिक व असंगत लाभों के कारण ही नियुक्ति की जाती है। अधिवक्ता ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट ने भी कहा है कि जिला स्तरीय सरकार अधिवक्ता भी अनुबंध के आधार पर कार्य नहीं करते हैं और न्यायिक अधिकारी होते हैं। इसलिये जिला स्तरीय अधिवक्ता व 'पब्लिक प्रोसीक्यूटर्स' सार्वजनिक कार्यालय में पद ग्रहण करते हैं, इसलिये राज्य सरकार मनमाने तरीके से किसी भी व्यक्ति की वहां पर नियुक्ति नहीं कर सकती।

याचिकाकर्ता ने अदालत को बताया कि 23 मई को आर. पी.ओ.ए. ने गृह विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव को पत्र लिखकर कहा था कि वे मनमाने तरीके से कानून की अवहेलना करते हुए पब्लिक प्रोसीक्यूटर, एडीशनल प्रोसीक्यूटर और स्पेशल प्रोसीक्यूटर के पदों पर नियुक्ति न करें, परंतु पत्र लिखे जाने के बाद ना तो उन्होंने कोई जवाब दिया बल्कि प्रक्रिया को स्थगित भी नहीं किया और 26 जून को विभिन्न जिला न्यायाधीशों और कलेक्टरों के बनाये गये पैनल से अधिवक्ताओं के नामों की सूची को मंगाया और नियुक्ति की प्रक्रिया को आगे बढ़ाया। याचिकाकर्ता ने कानून विभाग द्वारा जारी पत्र जिनसे प्रोसीक्यूटर्स के पदों को भरने के लिये सुझाव मांगे गये हैं, उसे रद्द करने की भी गुहार की है। मामले को सुनने के बाद अदालत ने इसमें चार सप्ताह बाद सूचीबद्ध किया है और संबंधित पार्टियों से जवाब तलब किया है।

मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने अपने मंत्रीपरिषद के सदस्यों एवं विधायकों के साथ मंगलवार को जयपुर के जवाहर सर्किल स्थित 'एंटरटेनमेंट पैराडाइज' मल्टीप्लेक्स में महान स्वतंत्रता सेनानी विनायक दामोदर सावरकर के संघर्ष एवं बलिदान पर आधारित फिल्म 'स्वातंत्र्य वीर सावरकर' की स्पेशल स्क्रीनिंग देखी। इस दौरान विधानसभा अध्यक्ष वासुदेव देवनानी, उपमुख्यमंत्री डॉ. प्रेम चन्द बैरवा एवं राज्यसभा सांसद मदन राठौर व अन्य विधायक भी उपस्थित रहे।

प्रदेश के विकास में भी सिख समाज का महत्वपूर्ण योगदान : भजनलाल

- सिख समाज के लिए बजट घोषणाओं पर धन्यवाद सभा

जयपुर, (का.सं.)। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने कहा कि सिख धर्म हमें जीवन में सच्चाई, ईमानदारी और मेहनत को अपनाने की सीख देता है। यह सिद्धांत हमें आत्मनिर्भरता और कर्मठता का महत्व भी समझाता है। उन्होंने कहा कि सिख समुदाय द्वारा गुरूद्वारों में निःशुल्क भोजन सेवा उनके सेवा भाव का उत्कृष्ट उदाहरण है। प्रदेश के विकास में भी सिख समाज का महत्वपूर्ण योगदान है। शर्मा मंगलवार को मुख्यमंत्री निवास पर सिख समाज से संबंधित बजट घोषणाओं के लिए आयोजित धन्यवाद सभा को संबोधित कर रहे थे। उन्होंने कहा कि गुरु नानकदेव जी ने जात-पात और भेदभाव के खिलाफ संघर्ष किया और सभी मनुष्यों को एक समान बताया। सिख धर्म में स्त्रियों और पुरुषों के बीच समानता पर भी जोर दिया गया है। मुख्यमंत्री ने कहा कि यह धर्म हमें दूसरों की रक्षा का पाठ भी पढ़ाता है। सिख योद्धाओं की वीरता और बलिदान इतिहास में अनमोल है। जब-जब भी देश पर आतातायियों का आक्रमण हुआ सिख समाज ने मजबूती के साथ उनका मुकाबला किया।

मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य सरकार ने प्रदेश के बजट में हर वर्ग और हर क्षेत्र के लिए घोषणाएं की हैं। प्रदेश के धार्मिक स्थलों के विकास के लिए भी इस बजट में प्रावधान किए गए हैं। उन्होंने कहा कि दिल्ली बाईपास स्थित तेग बहादुर साहिब गुरुद्वारा-जयपुर तथा बुड्डा जोहड़ गुरुद्वारा-अनूपगढ़ में श्रद्धालुओं की सुविधा एवं विकास कार्य करवाए जाएंगे।

शर्मा ने कहा कि सिख गुरूओं ने अपनी वाणी से समाज के वंचित और असहाय वर्ग की सेवा का संदेश दिया है। उनके संदेश को अपनाते हुए हमें आस-पास के ऐसे लोगों को समाज की मुख्यधारा में लाने के लिए केन्द्र एवं राज्य सरकार की कल्याणकारी योजनाओं का लाभ दिलाना चाहिए। मुख्यमंत्री ने कहा कि सामाजिक सरोकार में भागीदारी करने की प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने हमें प्रेरणा दी है। उनके द्वारा चलाए गए एक पेड़ मां के नाम अभियान के तहत 7 अगस्त को प्रदेश में 1 करोड़ पौधे लगाए जाएंगे। श्री शर्मा ने सिख समाज के लोगों से इस अभियान में बढ़-चढ़कर हिस्सा लेने का आवन किया।

इस अवसर पर प्रतिनिधिमण्डल ने मुख्यमंत्री का सम्मान करते हुए उन्हें पगड़ी बांधी तथा गुरू गोविंद सिंह जी की तस्वीर व तलवार भेंट की। कार्यक्रम में विधायक श्री गुरवीर सिंह सहित राज्य के विभिन्न गुरूद्वारों के प्रधान, जत्थेदार एवं सिख समाज के गणमान्य लोग उपस्थित रहे।

भाकर छह महीने के लिए सस्पेंड

कांग्रेस बोली, "सड़क तक करेंगे विरोध"

- निलंबन के बावजूद सदन नहीं छोड़ने के कारण भाकर पर हुई कार्यवाही
- कांग्रेस ने मांगा कानून मंत्री का इस्तीफा

जयपुर, (वि.सं.)। राजस्थान विधानसभा का बजट सत्र पक्ष और विपक्ष के बीच बड़े टकराव के साथ खत्म हो गया। एक दिन पहले मुकेश भाकर के निलंबन के कारण बना गातिरोध खत्म होने के बजाय ज्यादा बढ़ गया और स्पीकर वासुदेव देवनानी ने कांग्रेस विधायक मुकेश भाकर को छह महीने के लिए सस्पेंड कर दिया। सदन में कानून मंत्री के बेटे को अतिरिक्त महाधिवक्ता बनाने के विषय पर बहस को लेकर सोमवार से लगातार विवाद की स्थिति बनी हुई थी। दूसरे दिन कांग्रेस ने कानून मंत्री के इस्तीफे की मांग की।

मुकेश भाकर को निलंबित करने के तत्काल बाद स्पीकर ने सदन की कार्यवाही को अनिश्चितकाल के लिए स्थगित कर दी। हालांकि इसके बाद भी विपक्ष के विधायक सदन में लगातार नारेबाजी करते रहे। इससे पहले सरकारी मुख्य सचेतक जोगेश्वर गर्ग ने भाकर को छह महीने के लिए सस्पेंड करने का प्रस्ताव रखा था, जिसे स्पीकर ने तत्काल मंजूर कर दिया। मुख्य सचेतक जोगेश्वर गर्ग ने कांग्रेस विधायक मुकेश भाकर को छह महीने के लिए सस्पेंड करने का प्रस्ताव रखते हुए कहा कि भाकर को 5 अगस्त को निलंबित करने के बाद सदन से चले जाना चाहिए था। स्पीकर ने उन्हें बार-बार सदन से जाने को कहा, लेकिन उन्होंने आदेशों की अवहेलना की।

विधानसभा की प्रक्रिया और कार्य संचालन नियम 292-3 में यह प्रावधान है कि निलंबित विधायक को तत्काल सदन की सीमाओं से बाहर चले जाना चाहिए, लेकिन भाकर ने अब तक ऐसा नहीं किया। पूरा प्रतिपक्ष उन्हें संरक्षण दे रहा है। ऐसे अभद्र व्यवहार करने वाले को इस सदन का सदस्य रहने का हक नहीं है।

इस कार्यवाही के बाद नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली ने मुकेश भाकर के छह महीने के निलंबन पर नाराजगी जताई। भाजपा का कहना है कि गलती मानने के बजाए भाकर आसन को झुकाने का प्रयास कर रहे थे। निलंबन में बाद मुकेश भाकर ने कहा कि भाजपा और भाजपा सरकार के दबाव में स्पीकर ने यह असंवैधानिक फैसला लिया है। भाकर ने कहा कि यह फैसला भाजपा के दबाव में लिया गया। हम कानून मंत्री के बेटे की गलत तरीके से नियुक्ति के बारे में बात करना चाहते थे। पहले स्पीकर ने कहा कि आप सीट पर जाएं, में व्यवस्था देता हूं। हम सीट पर गए तो स्पीकर ने कहा कि आप लिखित में दीजिए, मैं परीक्षण करके कल समय दूंगा। जब नेता प्रतिपक्ष बोल रहे थे तो भाजपा नेता बीच में खड़े होकर बोलने लगे। मैंने विधायकों से कहा कि नेता प्रतिपक्ष बोल रहा है तो आपको अधिकार नहीं है। उन्होंने आरोप लगाया कि स्पीकर पहले से यह तय करके आए थे। भाजपा के मंत्री जवाब दे नहीं पा रहे हैं। भाजपा सरकार विधानसभा में पूरी तरह से फेल हो रही है। उसे कैसे बचाया जाए। इसकी पूरी जिम्मेदारी स्पीकर ने अपने ऊपर ले रखी थी। जिस तरह से बिना वोटिंग और जल्दबाजी में कल निलंबित किया गया। आज भी जल्दबाजी में असंवैधानिक तरीके से सस्पेंशन किया गया। अब हम सभी वरिष्ठ नेताओं के साथ मिलकर आगे की रणनीति बनाएंगे।

सदन स्थगित होने के बाद नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली ने जोगेश्वर गर्ग के आरोपों पर कहा कि पता नहीं मार्शल को मुकेश ने काटा है या उन्हीं के सदस्यों ने काट खाया है। जिस प्रकार का गतिरोध सदन में बना। हमारी महिला सदस्यों के साथ धक्का-मुक्की हुई है। हमारे कई सदस्यों के साथ इस तरह का बर्ताव किया गया। सदन से निलंबन पहले भी होता आया है, लेकिन इसकी एक मर्यादा होती है। मार्शल धक्का-मुक्की नहीं कर सकते। नियम है कि वो सदस्य को हटाकर वहां से ले जा सकते हैं, जो उन्होंने किया वो गलत है और अब हमारे सदस्यों पर आरोप लगा रहे हैं, यह सरासर गलत है। जूली ने कहा कि भाजपा हमेशा बाबा साहब के बने संविधान का अपमान करती है। दिल्ली के बाद यहां भी ऐसा ही किया है। हम इस मामले को लेकर सड़क पर विरोध करेंगे, ओर ब्लॉक स्तर तक मामले को लेकर जाएंगे। इससे पहले सदन की कार्यवाही शुरू हुई तो कांग्रेस का धरनाजारी रहा।

आरजेएस भर्ती परीक्षा में शामिल करने के आदेश

जयपुर। राजस्थान हाईकोर्ट ने आरजेएस भर्ती-2024 में एसटी विधवा वर्ग के लिए पद आरक्षित नहीं करने के मामले में हाईकोर्ट प्रशासन को आदेश दिए हैं कि वह याचिकाकर्ता को मुख्य परीक्षा में शामिल करे। सीजे एमएम श्रीवास्तव और जस्टिस गणेश मीणा की खंडपीठ ने यह आदेश सुनीता मीणा की याचिका पर सुनवाई करते हुए दिए।

याचिका में अधिवक्ता हिमांशु जैन ने अदालत को बताया कि हाईकोर्ट प्रशासन ने राजस्थान न्यायिक सेवा के 222 पदों के लिए इस साल भर्ती निकाली है। जिसकी प्रारंभिक परीक्षा होने के बाद 31 अगस्त को मुख्य परीक्षा होनी है। भर्ती में 24 पद एसटी वर्ग के लिए आरक्षित रखे गए हैं। इनमें से आठ पद एसटी महिला के लिए आरक्षित रखे गए है। वहीं इन आठ पदों में से तीस फीसदी पद एसटी विधवा और तलाकशुदा कोटे के लिए आरक्षित होने चाहिए, लेकिन इस कोटे के लिए अलग से कोई पद नहीं रखे गए। याचिका में बताया गया कि प्रारंभिक परीक्षा में याचिकाकर्ता के 46 अंक आए है, जबकि सामान्य विधवा वर्ग की कट ऑफ 45 अंक हैं। वहीं हाईकोर्ट प्रशासन ने एसटी विधवा और तलाकशुदा वर्ग की अलग से कट ऑफ जारी ही नहीं की। ऐसे में हाईकोर्ट प्रशासन ने आरक्षण के प्रावधानों की अवहेलना की है। याचिकाकर्ता के अधिक अंक होने के कारण उसे मुख्य परीक्षा में शामिल किया जाए। जिस पर सुनवाई करते हुए खंडपीठ ने याचिकाकर्ता को मुख्य परीक्षा में शामिल करने को कहा है।

निलम्बित सदस्य आसन के निर्देशों के बावजूद सदन में बैठे रहे

अन्ततः अध्यक्ष ने दुःखी मन से विधायक भाकर को छः माह के निलम्बित किया

- प्रतिपक्ष द्वारा निलम्बित सदस्य को सुरक्षा देकर आसन के आदेशों की अवहेलना कर सदन की गरिमा को ठेस पहुँचाई, जिसे बर्दाश्त नहीं किया जायेगा : देवनानी

जयपुर, (वि.सं.)। विधानसभा अध्यक्ष वासुदेव देवनानी ने कहा है कि राजस्थान विधान सभा सदन में मंगलवार को भी प्रतिपक्ष ने आसन के आदेशों की अवहेलना कर पवित्र सदन की गरिमा को ठेस पहुँचाई। देवनानी ने कहा कि उन्होंने आसन से बार-बार निलम्बित सदस्य को सदन से बाहर भेजने के लिए कहा। प्रतिपक्ष ने आसन के निर्देशों को नकारा और निलम्बित सदस्य को सदन में सुरक्षा दी और उसे बाहर नहीं भेजा बल्कि उसे घेर कर सदन में जमे रहे।

देवनानी ने नियमों के विपरीत प्रतिपक्ष के व्यवहार को लोकतान्त्रिक व्यवस्थाओं और समृद्ध संसदीय परम्पराओं की अवहेलना बताया है। उन्होंने कहा कि उनके द्वारा दस बार नेता प्रतिपक्ष और प्रतिपक्ष के सदस्यों को सदन में बैठने के लिए भी अनुरोध किया गया। देवनानी ने प्रतिपक्ष द्वारा आसन के निर्देशों की अवहेलना को बेहद दुःखद बताया है। उन्होंने कहा कि सदन में किसी प्रकार की अप्रिय घटना नहीं घटे इसके लिए उन्होंने निलम्बित सदस्य को सदन से बाहर निकालने के लिए मार्शल भी नहीं बुलाया। देवनानी ने कहा कि जब तक वे आसन पर रहेंगे तब तक वे आसन की मान मर्यादा और गरिमा को बनाये रखेंगे। विधानसभा जैसे पवित्र व गरिमापूर्ण सदन को प्रतिपक्ष के सदस्यों ने अमर्यादित और असंवैधानिक आचरण से ठेस पहुँचाई है, जिसे वे बर्दाश्त नहीं करेंगे। प्रतिपक्ष द्वारा निलम्बित सदस्य का बचाव करना बेहद निन्दनीय व अशोभनीय है। देवनानी ने कहा कि आसन द्वारा बार-बार प्रतिपक्ष को अनुरोध किये जाने के बाद भी निलम्बित सदस्य को बाहर नहीं भेजा जाना, आसन के निर्णय की सरासर अवहेलना है। देवनानी ने कहा कि उनके अनुरोध को प्रतिपक्ष ने नकारा। अन्ततः उन्हें दुःखी मन से सदस्य को छः माह के लिए निलम्बित किये जाने के लिए बाध्य होना पड़ा। यह निर्णय उनके लिए मानसिक पीड़ा देने वाला है। उन्होंने कहा कि सत्र में प्रतिपक्ष नेता और प्रतिपक्ष सदस्यों ने अनेक बार असंसदीय व्यवहार किया और गतिरोध बनाया, बाद में अपनी गलती के लिए माफी भी मांगी। उन्होंने कहा कि प्रतिपक्ष का यह व्यवहार असंवैधानिक और अनैतिक था। देवनानी ने कहा कि आसन असंसदीय और अशोभनीय आचरण को प्रोत्साहित नहीं कर सकता है। उन्होंने कहा कि भारतीय सभ्यता, संस्कृति और नैतिकता उनके व्यवहार में रची-बसी हुई है। सदन में प्रतिपक्ष की आज भी अमर्यादित और अनैतिकता वाले व्यवहार को देखकर वे दुःखी हुए।

राज्यपाल बागडे ने ली विशेष समीक्षा बैठक

राज्यपाल हरिभाऊ किसनराव बागडे

जयपुर। राज्यपाल हरिभाऊ किसनराव बागडे ने जनजातीय क्षेत्रों के विकास को सर्वोच्च प्राथमिकता देते हुए कार्य किए जाने के निर्देश दिए हैं। उन्होंने कहा कि इन क्षेत्रों में केंद्र और राज्य सरकार की योजनाओं के अंतर्गत व्यय की जाने वाली एक एक पाई का हिसाब रखा जाए।

बागडे मंगलवार को राजभवन के अधिकारियों की आयोजित विशेष बैठक में संबोधित कर रहे थे। उन्होंने उच्च शिक्षा के अंतर्गत शिक्षा की गुणवत्ता पर विशेष ध्यान देने का आ ान किया। उन्होंने विश्वविद्यालयों में नेक की तैयारी और रैंकिंग वृद्धि के लिए भी तेजी से कार्य करने पर जोर दिया और इसकी राजभवन स्तर पर प्रभावी मॉनिटरिंग किए जाने पर जोर दिया।

राज्यपाल ने कमजोर और पिछडे वर्गों के कल्याण के लिए लागू योजनाओं के प्रभावी क्रियान्वयन का भी आ ान किया। उन्होंने जनजाति क्षेत्रों में वर्षा जल संरक्षण और बारिश के पानी को सहेजने के लिए भी विशेष कार्य किए जाने की आवश्यकता जताई। जनजाति क्षेत्रों में आधारभूत सुविधाओं के विकास के बारे में जानकारी लेते हुए उन्होंने कहा कि यह देखा जाए कि केंद्र और राज्य सरकार की योजनाओं के निर्धारित लक्ष्यों को प्राप्त कर वास्तविक कार्य हुआ है अथवा नहीं। उन्होंने आदिवासी क्षेत्रों में बुनियादी सुविधाओं के प्रभावी विकास के लिए सबको मिलकर कार्य करने पर जोर दिया। राज्यपाल ने तकनीकी शिक्षा के अंतर्गत विद्यार्थियों को कौशल विकास से आंकड़ों में नहीं व्यावहारिक रूप में समृद्ध किए जाने और राजभवन स्तर पर इसकी नियमित मॉनिटरिंग किए जाने के निर्देश दिए। उन्होंने विश्वविद्यालयों द्वारा गांव गोद लेकर उनके विकास के लिए किए जाने वाले कार्यों की भी विशेष रूप से समीक्षा की। उन्होंने गांवों में विकास के लिए व्यावहारिक प्रयास किए जाने पर जोर दिया। उन्होंने राजभवन से जुड़े विभिन्न कार्यों की समीक्षा करते हुए कहा कि सभी अधिकारी और कर्मचारी पूर्ण लगन और निष्ठा से कार्य करे। बैठक में राज्यपाल के सचिव श्री गौरव गोयल ने राजभवन के स्तर पर किए जाने वाले कार्यों के बारे में जानकारी दी। विभिन्न प्रकोष्ठों के प्रभारी अधिकारियों ने पॉवर प्वाइंट प्रस्तुति दी।

विधानसभा का सत्र अनिश्चितकाल के लिए स्थगित

जयपुर, (वि.सं.)। राजस्थान विधानसभा अध्यक्ष वासुदेव देवनानी ने राजस्थान विधान सभा के द्वितीय सत्र को मंगलवार को दोपहर 1:53 बजे अनिश्चितकाल के लिए स्थगित कर दिया।

जल जीवन मिशन में निम्न प्रगति वाले जिलों को नोटिस

जयपुर। जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग के शासन सचिव डॉ समित शर्मा ने कहा कि प्रदेश में जल जीवन मिशन कार्यक्रम के तहत निम्न प्रगति वाले बीकानेर, जयपुर ग्रामीण, करौली एवं कोटपूतली-बहरोड जिलों के अधीक्षण अभियंताओं को कारण बताओं नोटिस जारी करने के निर्देश दिए हैं उन्होंने कहा कि जल जीवन मिशन के तहत किए जा रहे कार्यों की मॉनिटरिंग 14 के आधार पर की जा रही है जिसमें इन जिलों की प्रगति निम्न स्तर की पाई गई है।

साथ ही जिन जिलों में जल जीवन मिशन कार्यक्रम के तहत जो ठेकेदार निर्धारित टारगेट के अनुसार कार्य नहीं कर रहे हैं उनके विरुद्ध कठोर कार्रवाई की जाएगी।

पर्यटकों को मिले अंतरराष्ट्रीय स्तर की सुविधाएँ : दिया कुमारी

जयपुर। उपमुख्यमंत्री दिया कुमारी ने पर्यटन, पुरातत्व तथा धार्मिक स्थानों का सुनियोजित विकास कार्य किये जाने के लिए कार्य योजना बनाकर काम करने के निर्देश दिए। उन्होंने निर्देश दिए की गुणवत्तापूर्ण कार्य के आधार पर राजस्थान में आने वाले पर्यटकों को अंतरराष्ट्रीय स्तर की सुविधाएँ उपलब्ध हो इसे लक्षित करके ही पर्यटन विकास के कार्यों को मूर्त रूप दिया जाए।

दिया कुमारी के समक्ष मंगलवार को सचिवालय में पर्यटन विभाग की निदेशक डॉ. रश्मि शर्मा के द्वारा आरटीडीसी की प्रबंध निदेशक अनुपमा जोरवाल की उपस्थिति में पर्यटन यूनिट नीति-2024 के संभावित बिंदुओं सहित बजट घोषणाओं की क्रियान्विति के सम्बन्ध में प्रस्तुतिकरण दिया गया। इस दौरान उन्होंने अधिकारियों को बेहतर काम करने के लिए एजेंसियों का पारदर्शिता से चयन किये जाने की प्रक्रिया अपनाएं जाने के भी निर्देश दिए। उपमुख्यमंत्री ने पर्यटन विभाग से सम्बन्धित सभी बजट घोषणाओं की द्रुत गति से क्रियान्विति के लिए भी निर्देश दिए। इसके साथ ही विकसित राजस्थान 2047 के विजन डॉक्यूमेंट पर चर्चा कर सहमति प्रदान की। उपमुख्यमंत्री दिया कुमारी ने बजट घोषणाओं के बिन्दुओं में उल्लेखित श्री खाटूश्याम जी, श्री महावीर जी तथा अन्य धार्मिक पर्यटन स्थलों का पूर्ण भव्यता और सुनियोजित रूप से जीर्णोद्धार एवं विकास कार्य किए जाने के निर्देश दिए। इसके साथ ही उन्होंने जमवाय माता मन्दिर के ऐतिहासिक और धार्मिक महत्व को ध्यान में रखते हुए मंदिर का पूर्ण भव्यता से जीर्णोद्धार किये जाने के निर्देश दिए।

विरासत से विकास में दिखेगा दस्तकारों का हुनर

जयपुर, (का.सं.)। देशभर में 7 अगस्त को नेशनल हैंडलूम डे मनाया जाएगा। यह दिवस है दस्तकारों के हुनर को सलाम करने का। इसी के साथ 9 अगस्त को विश्व आदिवासी दिवस मनाया जाएगा। दोनों ही उपलक्ष्य को ध्यान में रखते हुए जवाहर कला केंन्द्र की ओर से अतुल्य अगस्त प्रोग्राम के तहत 11 से 17 अगस्त तक अलंकार दीर्घा में विरासत से विकास एग्जीबिशन का आयोजन किया जा रहा है। प्रदर्शनी में हैंडलूम की विरासत को देशभर से सहेजकर यहां प्रदर्शित किया जाएगा, इससे हैरिटेज आर्ट के विकास का क्रम देखने को मिलेगा।

नागपुर से जयपुर आया बाघ जोड़ा

जयपुर। महाराष्ट्र के नागपुर से बाघ का एक जोड़ा मंगलवार को नाहरगढ़ बायोलॉजिकल पार्क लाया गया है। यह जल्द ही नाहरगढ़ टाइगर सफारी की शान बनेगा। केन्द्रीय चिड़ियाघर प्राधिकरण नई दिल्ली की स्वीकृति के बाद मंगलवार को सुबह वन्यजीव एस्क्यू सेन्टर गोरेवाड़ा नागपुर महाराष्ट्र से एक नर बाघ गुलाब (4 वर्ष) तथा एक मादा चमेली (3 वर्ष) को नाहरगढ़ जैविक उद्यान में लाया गया। बाघ के जोड़े को पहले 21 दिन के लिए क्वॉरेंटाइन में रखा जाएगा और उसके बाद इसे नाहरगढ़ टाइगर सफारी में छोड़ा जाएगा। वरिष्ठ वन्यजीव चिकित्सक डॉ अरविंद माथुर के नेतृत्व में बाघ के जोड़े को नागपुर से नाहरगढ़ बायोलॉजिकल पार्क लाया गया। करीब 24 घंटे का सफर तय कर यह बाघ का जोड़ा जयपुर पहुंचा है। वरिष्ठ वन्यजीव चिकित्सक डॉ अरविंद माथुर ने बताया कि बाहर से आने के कारण इस जोड़े को 21 दिन के क्वॉरेंटाइन में रखा जाएगा, ताकि ये आपको को यहां की जलवायु के हिसाब से खुद ढाल सके। सितंबर में नाहरगढ़ बायोलॉजिकल पार्क में टाइगर सफारी शुरू होगी और उस समय इस बाघ के जोड़े को टाइगर सफारी में छोड़ा जाएगा. इसके बाद वहां आने वाले पर्यटक एवं वन्य जीव प्रेमी इस जोड़े को देख सकेंगे। डॉ माथुर ने बताया कि एक्सचेंज प्रोग्राम के तहत बाघ के जोड़े को जयपुर लाया गया है।

महापौर के बाद डिप्टी मेयर ने जनसुनवाई का ऐलान किया

जयपुर। नगर निगम ग्रेटर मेयर सौम्या गुर्जर के 31 जुलाई से जनसुनवाई करने का ऐलान करने के बाद अब डिप्टी मेयर पुनीत कर्णावत ने भी खुद के स्तर पर जनसुनवाई करने की घोषणा की है। उन्होंने सप्ताह में 3 दिन नगर निगम मुख्यालय, जबकि 2 दिन जोन ऑफिस में जनसुनवाई करने की बात कही है।

मंगलवार को नगर निगम ग्रेटर में मीडिया को संबोधित करते हुए डिप्टी मेयर कर्णावत ने कहा कि नगर निगम ग्रेटर के बोर्ड को बने साढ़े 3 साल से ज्यादा समय हो गया है। चूंकि अब प्रदेश में ट्रिपल इंजन की सरकार है तो ऐसे में अब जनता के काम ज्यादा से ज्यादा और आसानी से हो उसके लिए हमने जनसुनवाई शुरू करने का निर्णय किया। मेयर की ओर से जनसुनवाई करने के सवाल पर डिप्टी मेयर ने कहा कि सभी जनप्रतिनिधियों को सुनवाई करनी चाहिए। मेयर जनसुनवाई शुरू करने वाली है। इसकी नॉलेज मुझे है। मैं सोमवार से बुधवार तक मुख्यालय पर, जबकि गुरुवार-शुक्रवार जोन ऑफिस में सुनवाई करूंगा।

मदन राठौड़ ने अतिवृष्टि वाले इलाकों में नागरिकों की सुरक्षा के लिए निर्देश दिये

जयपुर। भाजपा प्रदेश अध्यक्ष और राज्यसभा सांसद मदन राठौड़ ने प्रदेश में पिछले कुछ दिनों से हो रही अतिवृष्टि को ध्यान में रखते हुए प्रशासन के साथ आमजन से जरूरतमंदों की मदद करने की अपील की। राठौड़ ने जिला कलेक्टर्स, संभागीय आयुक्त के साथ भाजपा जिलाध्यक्षों को भी जलभराव वाले क्षेत्रों को चिन्हित कर उचित प्रबंध करने के लिए निर्देशित किया है।

राठौड़ ने कहा कि प्रदेश में पाली, बूंदी, जैसलमेर, बाडमेर सहित अन्य जिलों में पिछले कुछ दिनों से लगातार बारिश के चलते बाढ़ के हालात बन गए। कन्हीं कुछ कॉलोनियों में पानी की समुचित निकासी नहीं होने के चलते संपूर्ण कॉलोनी में पानी भर गया, ऐसे में पानी निकासी के लिए उचित प्रबंध करने के लिए अधिकारियों को निर्देशित किया गया है। उन्होंने कहा कि पाली के संभागीय आयुक्त और कलेक्टर को जलभराव वाले क्षेत्रों के लिए आपदा प्रबंधन टीम तैयार करने के साथ जोधपुर जाने वाली नहर में पानी निकासी के लिए व्यवस्था करने के निर्देश दिए। भाजपा सरकार आपदा की इस घड़ी में नागरिकों के साथ हैं और प्रदेशवासियों की सुरक्षा भाजपा के लिए सर्वोपरि है।